

3.1
3.3
3

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रीालय
वल्गभ भवन, भोपाल-462004

प्रमाण संख्या 73-89/2007/20-3,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30-06-07

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रति विहार, नई दिल्ली ।

विषय:- शासकीय संस्था मास्टर माईड इंटरनेशनल स्कूल मांडवीन रोड
तरावा पिला उज्जैन -----
को सी.डी.एल.ई/माई डी एन ई नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु
अनामंकित प्रमाण पत्र देने का इत्त ।

राज्य शासन द्वारा शासकीय संस्था मास्टर माईड इंटरनेशनल स्कूल
मांडवीन रोड, तरावा पिला उज्जैन ----- को सी.डी.एल.ई/मांडवीन
माई डी, नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनामंकित प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों पर
दिया जाता है:-

1. प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएँ स्थापित हो चुकी हैं, उनका नाम
प्रदेश के शासकीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल की मिति तक आये हुए
संस्था का कार्यकारी में म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल के
प्रतिनिधि/अधिकारी को नामंकित किया जाये ।


128

विभिन्न अवसरों पर सांत्रों के जारीजित होने वाले मांडवीन
सर्व केन्द्र कार्यरत तथा अन्य शासकीय शिक्षकों को प्रतिनिधियों के
लिस्टेड नाम का मेधा-वहावा भवन सुविधा प्रदान आकरचना-
नुसार उपलब्ध कराये । इस हेतु संस्था से वहावा दान किया जा
जाये ।

138

इन संस्थाओं के शासकीय अतिव्ययिता की परीक्षण प्राप्त होने
पर विभाग द्वारा प्रतिनिधित अधिकारी को संस्था का नामंकित
करने वाले शासकीय अधिकारी को

4. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरान्त भी म.प्र. राज्य शासन व लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करने का बचन-पत्र संस्था से प्राप्त किया जाएगा ।
5. संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा ।
6. प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला का आयोजन आदि में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रधान करेंगे ।
7. आसकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेश संबंधी विषय प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क अद्य-काल प्रकाशित किये जाएंगे । विद्यार्थी शुल्क लेने में पाठकों का शोधन नहीं किया जाएगा ।
8. छात्र-छात्राओं को आलाओं में लगे बाले पुस्तकें एवं लेखन सामग्री जहाँ साकार है वहाँ लाने की प्रवृत्ति रहेगी । किसी प्रकार के लेखन से रुचि करने की आवश्यकता नहीं रहेगी ।
9. शिक्षण संस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अभिनं शमन पैरों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन संस्थाओं को करना होगा ।
10. संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यार्थी लक्ष्य लेने की दायित्व निवास तक भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा की गई अनुमति प्राप्त एवं वैध वाहनों का ही उपयोग किया जाएगा । छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी देर के उपरान्त संचालन जैसे घरेलू री. सी. सी. आदि से संतानित नहीं किया जाएगा ।



11. निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रेमन की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। कोई भी संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगी। इतने लक्ष्य में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनासक्ति प्रमाण-पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा लेगी।
12. संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रह नहीं किया जाएगा और भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेंगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


डॉ. ए. एल. पगारे
जवर सचिव

म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 30-06-02

पुस्तकालय क्रमांक एन 73-89 /2002/20-3.
प्रतिनिधि:-

1. अनुसूत, लोक शिक्षण संघालनालय, म. प्र. भोपाल।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला - खिल्ला - उज्जैन, म. प्र. उज्जैन।
3. प्राचार्य, अनासकीय शिक्षण संस्था - मास्टर गॉर्गेंड इंस्टीट्यूट ऑफ़ एजुकेशनल स्टडीज - माडक्रीन रोड सराना, जिला : उज्जैन।
4. आईर युवक।

की और सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित।


3006-07

